**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1831**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**घरेलू ई-वाणिज्य उद्योग का संरक्षण करना**

**1831. प्रो. मनोज कुमार झाः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आत्मनिर्भर बनने, घरेलू उद्योग का संरक्षण करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से घरेलू ई-वाणिज्य उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने की अति आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राष्ट्रीय नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ)**: घरेलू अर्थव्यवस्था के तीव्र डिजिटलीकरण से लाभ के लिए एक राष्‍ट्रीय ई-कामर्स ढांचा भारत के लिए अनिवार्य है। ई-कामर्स संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने की प्रक्रिया पहले ही सरकार के विचाराधीन है।

23 फरवरी, 2019 को प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कामर्स नीति का पहला मसौदा टिप्पणियों/सुझावों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। यह मसौदा नीति ई-कामर्स क्षेत्र की वृद्धि के लिए सुविधाजनक विनियामक वातावरण सृजित करने का अनुरोध करती है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्यमियों को सशक्त बनाना है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नौकरी सृजन को सुविधाजनक बनाते हुए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है।

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए इस नीतिगत ढांचे में क्या होना चाहिए, इसके लिए वर्तमान में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। 120 से अधिक हितधारकों (कंपनियों, उद्योग संघों, विचारक समूह, विदेशी सरकारों) से टिप्पणियां प्राप्त हुईं हैं। इस क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और मसौदा नीति में शामिल प्रावधानों पर विचार-विर्मश करने के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, स्टार्टअप्स, उद्योग संघों, विचारक समूह, शिक्षाविदों आदि के साथ-साथ डेटा प्रदाता सेंटर, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, निर्यात संवर्धन परिषद सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सचिव, डीपीआईआईटी के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई हैं।

चूंकि यह एक नया मामला है, इसलिए पिछले कुछ महीनों में विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति को इस प्रकार तैयार किया जाए कि सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाए। इसलिए, उसी को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*\*